दिनांक 26 नवंबर 2009 को 11:00 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

श्री पी आई सुवरथन, अध्यक्ष, ने खाद्य प्राधिकरण की तीसरी बैठक के लिए सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक–1 में है। श्रीमती उपमा चौधरी, श्रीमती नवराज संधु, श्री एन. के नमपूथरी, श्री बेजून मिश्रा और श्री गिब्सन जी. वेदमणि को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी प्रदान की गयी जो बैठक में शामिल नहीं ले सके।

मद संख्या 1:

बैठक में कोई नया सदस्य नहीं था।

मद संख्या 2:

कार्यवाही के शुरू होने से पहले, बैठक में सभी मौजूद सदस्यों ने बैठक में विचार किया जाने वाले कार्यसूची मद के संबंध में "रूचि की विशिष्ट घोषणा" पर हस्ताक्षर किए।

मद संख्या 3:

08 मई 2009 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की चौथी बैठक के कार्यवृत्त और बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की पुष्टि की गई।

मद संख्या 4:

श्री वी.एन. गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया गया, (प्रतिलिपि सलंग्न है), कुछ नई पहल के साथ वर्ष 2009–10 की कार्य योजना के संदर्भ में खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद से पिछले छह महीनों के दौरान के घटनाक्रम पर प्रकाश डाला गया। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों का सदस्यों ने जायजा लिया और इस बात पर बल दिया कि खाद्य प्राधिकरण कुशल प्रवर्तन एवं अनुवीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि खाद्य प्राधिकरण पहले से ही भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच), हैदराबाद के परामर्श के साथ राज्यों के लिए समर्थन तंत्र पर एक सक्रिय कार्य योजना पर काम कर रहा है और सभी राज्यों में कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए कुछ अग्रामी परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव करता है।

सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गए :

1. राज्यों द्वारा खाद्य संरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी और डेटा नियमित आधार पर उपलब्ध होना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए तंत्र स्थापित करने की जरूरत है।

2. पोषण लेबलिंग अब अधिसूचित किया गया है और खाद्य प्राधिकरण इस अधिसूचना के उचित कार्यान्वयन पर प्रतिपुष्टि(फीडबैक) प्राप्त कर सकता हैं।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के लिए पीड़कनाशी की अधिकतम अवशेष सीमा का निर्णय लिया गया है और आगे की कार्रवाई इस संबंध में उठाए जाने की आवश्यकता है।

4. जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट है प्राधिकरण को आनुवंशिक रूप से अशोधित खाद्य पदार्थों के लिए एक नियामक ढांचा विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

5. न्यूट्रास्युटिकल के लिए दिशानिर्देशों की जल्द से जल्द आवश्यकता होगी।

6. खाद्य प्राधिकरण को राज्यों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करके राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करना होगा।

7. कोडेक्स मंच को मजबूत करने की जरूरत है। एफ एस एस ए आई कोडेक्स गतिविधियों में गंभीर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त तंत्र पर विचार कर सकता है।

8. अधिनियम के शेष उपबंधों के संचालन के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

मद संख्या 5 (क):

खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधिदेशानुसार, प्रस्ताव में विभिन्न खाद्य संबंधित आदेश/अधिनियम अर्थात एफपीओ, एमएफपीओ, एमएमपीओ, पीएफए आदि से संबंधित विभिन्न खाद्य पदार्थें के अंतर्गत मौजूदा लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का एकीकरण सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं के एकल, सरलीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली में करना शामिल है। प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई थी और निम्नलिखित टिप्पणियां की गईः

1. खण्ड 5 (5) के अंतर्गतपैरा 2 की पहली पंक्ति को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए "बशर्ते है कि कोई व्यक्ति निर्माण, आयात, बिक्री, स्टाक, वितरण नहीं करेगा या बिक्री या वितरण की प्रदर्शनी नहीं करेगा...."

2. खंड संख्या 12 के अंतर्गत, यह सुझाव दिया गया था कि केवल अभिन्यास में बड़े बदलाव के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। सामयिक आवश्यकताओं के आधार पर होने वाले परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जब तक कि इसके गुणवत्ता और सुरक्षित भोजन की बुनियादी आवश्यकताओं पर असर पड़ने की संभावना न हो।

3. अनुसूची 1 के अंतर्गत, बिन्दु (वी) में शब्द "अन्य" अनावश्यक प्रतीत होते है और इसको ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

4. अनुसूची 1 के बिंदु (नौ) में, टर्नओवर को राज्यों की संख्या जहां से वे काम कर रहे हैं के बजाय खुदरा श्रृंखला की पहचान के आधार के रूप में माना जा सकता है। अन्यथा, सभी अंतरराज्यीय कार्यों के लिए, केन्द्रीय लाइसेंसिंग के प्रावधान पर विचार किया जा सकता है।

5. अनुलग्नक 2 में, बिंदु सं 7 के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए केवल जिम्मेदार व्यक्ति के प्रावधान को शामिल किया जा सकता है।

6. अनुसूची 3 के अधीन, लाइसेंस शुल्क तय करने में राज्यों को लचीलापन प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते उनके पास इसका तर्क हो।

7. अनुसूची 4, भाग अ के बिन्दु 1 के अंतर्गत, रेंज की उपलब्धता के द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता के संदर्भ में कुछ लचीलापन प्रदान किया जा सकता है।

8. अनुसूची 4, भाग 1 के अंतर्गत, बिंदु अ (3) मे, गंदे परिवेश से भोजन परिसर की न्यूनतम दूरी को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

9. दस्तावेज के द्वितीय भाग में, बिंदु 7.1 के अंतर्गत शब्द "अच्छी तरह से सुसज्जित आधुनिक प्रयोगशाला" में इस तरह की प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है।

10. निरीक्षण के लिए नियामक प्रावधानों को न्यूनतम किया जा सकता है और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो संरक्षा के साथ किसी समझौते की अनुमति नहीं देता है। एक साल में किए जाने वाले आवश्यक निरीक्षण की संख्या के मामले में आवधिक निरीक्षण स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

11. यह भी सुझाव दिया था कि अस्पष्ट शब्द जैसे पर्याप्त, उचित, आवधिक आदि को स्पष्ट रूप से या तो फुटनोट में या संलग्नक में परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे अपनी सुविधा के अनुरूप संचालकों द्वारा किसी भी कानूनी पहलू और दुरुपयोग से बचा जा सके।

12. अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) की सुविधा के लिए दूध इकाइयों की विवरणी सालाना की बजाय मासिक होना चाहिए।

13. नियामक कर्मियों से अक्सर मिलने के लिए छोटे व्यवसाय संचालकों की आवश्यकता के बिना लाइसेंसधारियों को नई प्रणाली में विस्थापित करने के लिए एक साधारण प्रक्रिया उनके सामने रखने की आवश्यकता है।

14. खाद्य की उपलब्धता और संरक्षा के हित में लाइसेंस प्राप्त इकाइयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उपयुक्त उपबंध शामिल किए जाने की जरूरत है।

15. यह साल के अंत तक सभी लाइसेंसिंग तारीखों को इकट्ठा करने की अपेक्षा इसको पूरे साल प्रसार करने की सलाह दी जाती है।

16. सीसीएफएस समितियों के अनुमोदन के बाद विचाराधीन पीएफए अधिसूचनाओं में तेजी लाई जा सकती है।

17. तेल को जमा करने के लिए के लिए मानकों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

18. प्राधिकरण को लाइसेंस के उपबंधों को लागू करने के लिए तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधनों को प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

19. छोटे राज्यों को शुरू में लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं और आसपास के राज्यों या केंद्र से समर्थन के लिए उपयुक्त उपबंधों पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, छोटे राज्यों को सहयोग करने के लिए बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए एफ एस एस ए आई द्वारा वित्तीय योजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने प्रारूप मसौदा पर विचार किया और मंजूरी दी और राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के लिए सिफारिश की।

मद संख्या 5 (ख):

खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की आवश्यकताओं के साथ प्रस्ताव में पीएफए के नियमों और विनियमों को और अधिक व्यापक, व्यवस्थित, वैज्ञानिक रूप में करने हेतु पी एफ ए के नियमों तथा विनियमों का एकीकरण शामिल है। लापता लिंकेज, पुरानी अधिसूचना से संबंधित पाद टिप्पणियों और लेखक गलतियां के संबंध में सुझाव दिये गए थे। यह आवश्यक है कि सभी संशोधन उपयुक्त स्थानों में शामिल हो। विस्तृत विवेचना के बाद, प्राधिकरण ने खाद्य क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के लिए प्रारूप मसौदा को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 6:

ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) मुख्य रूप से वनस्पति के साथ जुड़ा है जो भारतीय आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है और मधुमेह और हृदय रोगों (सीवीडी) के साथ इनके संबंध अच्छी तरह से स्थापित है। शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए, देश में ट्रांस वसा के लिए मानक को निर्धारित करने का प्रस्ताव शामिल है। प्राधिकरण ने एनआईएन, हैदराबाद की शोध अध्ययन और जोखिम आकलन रिपोर्ट, भारतीय और वैश्विक परिदृश्य के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया। उन्होने उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाला आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल की ट्रांस फैटी एसिड के लिए अधिकतम सीमा 10

प्रतिशत की प्रारूप अधिसूचना या भोजन की तैयारी के लिए घटक के रूप में उपयोग करना, के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी। उद्योग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि इस मामले में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आहार प्रोफाइल पर आगे विस्तृत अध्ययन, भारतीयों के परिदृश्य में ट्रांस वसा संबंधित जोखिम मूल्यांकन और गलनांक के मामले को देखने की जरूरत है। यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय आहार, टीएफए को कम करने के लिए उपलब्ध तकनीकी विकल्प और क्षमता का निर्माण और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक संचार रणनीतियों के टीएफए घटक पर प्राधिकरण सर्वेक्षण/अध्ययन भी कर सकता है। विनियमन के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ताओं और उद्योग और वैज्ञानिक समुदाय से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परामर्श भी आयोजित किया जा सकता है।

मद संख्या 7:

खाद्य विज्ञापन के लिए हितधारकों के साथ आगे के परामर्श के लिए और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालन के लिए मसौदा संहिता के स्वनियंत्रण हेतु प्राधिकरण ने विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया। यह विचार भी था कि स्वनियंत्रण के कोड नियामक का काई नियामक तंत्र विकल्प नहीं हो सकता है और अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत विज्ञापन के लिए आवश्यक नियामक उपबंधों को बाकी बचे समय में ले लेना चाहिए।

मद संख्या 8:

प्रस्ताव में एक समर्पित कोडेक्स सेल के साथ राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी) का भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को अंतरित करना और कोडेक्स मामलों के समाधान में एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत संरचना का निर्माण शामिल है। प्राधिकरण ने मसौदे के दिशा–निर्देशों को मंजूरी दे दी और सुझाव दिया कि एनसीसीपी को बुनियादी ढांचे, जन शक्ति, पर्याप्त बजटीय प्रावधान के संदर्भ में मजबूत करने की जरूरत है। राष्ट्रीय कोडेक्स समिति और इसकी छाया समितियों को कोडेक्स मुद्दों में प्रभावी भागीदारी के लिए सक्रिय होने की जरूरत है। प्राधिकरण अब नए विनियमों/दिशा–निर्देशों को अधिसूचित कर सकता है और इन पर अमल कर सकता है।

मद संख्या 9:

खाद्य प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए अशोधितनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या 10:

वर्तमान में, कई एजेंसियां जीएम खाद्य पदार्थों को विनियमित करने के लिए भारत में काम कर रही हैं। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को सभी आनुवंशिक रूप से अशोधित खाद्य पदार्थ को विनियमित करने के लिए खाद्य प्राधिकरण की आवश्यकता है। प्रस्ताव सुझाव देता है कि भारतीय खाद्य

संरक्षा और मानक प्राधिकरण मौजूदा जीएम नियामक एजेंसियों जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ एफएसएसए, 2006 के अंतर्गत एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में विनियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिसूचित जीएम खाद्य पदार्थों का नियम और/या विनियमों तक इस प्रक्रिया का समन्वय करेंगे। प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर विचार किया, चर्चा की, और इसको मंजूरी दे दी।

मद संख्या 11:

सुश्री वसुधरा देवधर ने "रसोई घर में उपकरणों और प्लास्टिक के बर्तन के उपयोग के लिए खाद्य संरक्षा उपाय" विषय पर एक प्रस्तुति पेश की। यह सुझाव दिया गया था कि प्राधिकरण "प्लास्टिक और खाद्य" पर नियम बना सकता है और योजना का विकास कर सकते है कि कैसे गैर–सरकारी संगठन "खाद्य संरक्षा के उद्देश्य का प्रचार करने के लिए खाद्य प्राधिकरण के साथ काम कर सकते हैं"।

अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ निम्न जानकारी साझा की है:

- प्रारंभ में, सीआईआई से डॉ इंद्राणी कर ने खाद्य प्राधिकरण को सूचित किया था वह अब सीआईआई में खाद्य पहलुओं को नहीं देख रही है और उनकी जगह खाद्य प्राधिकरण में उपयुक्त प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है। हालांकि, बाद के संचार में, उन्होंने सूचित किया कि वह खाद्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में जारी करेंगी।

- भारतीय रिटेलर्स एसोसिएशन (आरएएल) ने सूचित किया कि श्री कुमार राजगोपालन ने श्री गिब्सन जी वेदमनी की जगह आरएएल के सी ई ओ के रूप में पदभार संभाल लिया है और इन्होने श्री कुमार राजगोपालन को खाद्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है।

- वॉइस ने सूचित किया है कि श्री बेजोन मिश्रा अब कार्यकारी निदेशक के रूप में वॉइस के साथ नहीं है और प्रो श्री राम खन्ना (संस्थापक और वॉइस के प्रबंध ट्रस्टी) को खाद्य प्राधिकरण में वॉइस के उम्मीदवार के रूप में शामिल करने के लिए अनुरोध किया।

खाद्य प्राधिकरण सदस्यों में आवश्यक परिवर्तन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तक इस मामले को ले जा रहे है। अध्यक्ष ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राधिकरण की सदस्यता के कथित दुरुपयोग की रिपोर्ट से सदस्यों को सूचित किया। यह सहमति व्यक्त की गई कि 3–4 सदस्यों के एक समूह को जो मौजूद मुद्दे पर गौड़ करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए, गठित किया जा सकता है। इसके अलावा, खाद्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सेवा करते हुए इस समूह के सदस्यों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों का सुझाव कर सकते हैं।

धन्यवाद ज्ञापनः अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक – 1

दिनांक 26 नवंबर, 2009 को 11 बजे एफ डी ए भवन नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की तृतीय बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे।

<u>खाद्य प्राधिकरण के सदस्यः</u>

1. श्री आई.पी. सुवरथन, अध्यक्ष

2. श्री वी.एन. गौड़, सदस्य सचिव

3. श्री के. राजेश्वर राव

4. श्री वसुधंरा प्रमोद देवेधर

5. श्री वी. बालासुब्रामणियम

6. डा. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई

7. श्री अंशु प्रकाश

8. श्री देखशीष पांडा

9. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा

10. डा. इंद्राणी कर

11. डा. इंद्रा चक्रवर्ती

12. श्री दिनेश शर्मा

13. श्री. एम.पी. सिंह (श्री के.एस. लुडु के स्थान पर)

14. डा. एन.एन. वार्ष्णेय

15. श्री. संजय सिंह

16. डा. पी.सुचारिथा मूर्ति

17. श्री. शिव नारायण साहू

18. डा. स्वप्न कुमार पॉल

19. डा. एस. गिरिजा

<u>विशिष्ट आंमत्रितः</u>

1. डा. गफूरूनिस्सा

2. डा. कलपागम पोलासा

3. श्री के. विजयराघवन